राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.13(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक : 13 JUL 2023

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर।

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

सदर्भः– इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2021, 25.06.2021, 18.02.2022, 10.06.2022 एवं दिनांक 27.10.2022 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन एवं राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस सबंध में राजकीय आवास आवंटन हेतु **जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने 01.07.2021 से पूर्व** सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग में ऑफलाईन आवेदन किया हुआ हैं, उन्हे पुनः ऑनलाईन आवेदन (Reapply) करने हेतु सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा बार बार निर्देशित करने पर भी काफी आवेदकों द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन (Reapply) नहीं किया गया है।

इसी क्रम में राजकीय आवास के इच्छुक पूर्व आवेदक जिन्होने 01.07.2021 से पूर्व ऑफलाईन आवेदन किया हुआ है, को पुनः ऑनलाईन आवेदन (Reapply) करने हेतु **उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि से 3 माह का समय अन्तिम रूप से प्रदान किया जाता है।**

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि के पश्चात् ऐसे आवेदक जिन्हे दिनांक 01.07.2021 से पूर्व ऑफलाईन वरीयता अनुसार राजकीय आवास का आवंटन नहीं हुआ है एवं उनके द्वारा ऑनलाईन पुनः आवेदन (Reapply) नहीं किया है, उन्हे ऑफलाईन आवेदन के आधार पर आवास आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदक को आवास आवंटन का इच्छुक न मानते हुए उसकी वरीयता को समाप्त कर दिया जावेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् समयावधि में वृद्धि नहीं की जायेगी।

कृपया सभी अधिकारियो व कर्मचारियों को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करे। साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करने का श्रम करावें।

12/7/23

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, राज., जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उक्त परिपत्र के प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित है।
5. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड।

विशिष्ठ शासन सचिव